समाहरणालय, पूर्णियाँ

(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण

सचिव, समाज कल्याण विभाग (सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय) बिहार, पटना के पत्रांक– 769 दिनांक– 20.05.2015 के आलोक में सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के डाटा डिजिटाईजेशन का कार्य ऑन लाईन ई–लाभार्थी साफ्टवेयर में किया जाना है। विभाग द्वारा प्रति इंट्री दर अधिकतम 5 (पाँच) रू0 निर्धारित है। जिला स्तर पर एन0आइ0सी0 समाहरणालय, पूर्णियाँ के सहयोग से डाटा के डिजिटाईजेशन का कार्य ससमय सम्पादित किया जायेगा।

विभागीय निदेश के आलोक में उपरोक्त डाटा डिजिटाईजेशन का कार्य ससमय पूर्ण (25 जून 2015 तक) करने हेतु निम्नलिखित शर्तों पर मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। डाटा डिजिटाईजेशन हेतु इच्छुक वेंडर/फर्म दिनांक– 15.06.2015 को 3:00 बजे अपराह्न तक दो बंद लिफाफों में (तकनीकी/वित्तीय लिफाफा अलग–अलग) निविदा सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पूर्णियाँ के प्रकोष्ठ में समर्पित कर सकते हैं। वेंडर से प्राप्त निविदाओं को दिनांक– 15.06.2015 को 4:00 बजे अपराह्न में जिला क्रय समिति के समक्ष अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता स्वंय या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पूर्णियाँ या उनके कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है तथा ऑन लाईन डाटा डिजिटाईजेशन हेतु विहित साफ्टवेयर या उससे संबंधित विहित प्रपत्र की जानकारी डी0आई0ओ0, पूर्णियाँ से प्राप्त किया जा सकता है।

(क) तकनीकी निविदा की शर्तें :–

1. वेंडर/फर्म को बिहार वाणिज्य एवं आयकर विभाग से कम से कम तीन वर्षों से निबंधित होने का प्रमाण–पत्र तथा आयकर संख्या (PAN NO) देना होगा।
2. विगत तीन वर्षों का अद्यतन (Audit and Balance Sheet) का Audit Report संलग्न करना होगा।
3. वेंडर/फर्म को सेवा कर एवं बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम (Bihar Shops and Establishment Act) के अंतर्गत निबंधित होने का प्रमाण–पत्र एवं कागज का नमूना भी संलग्न करना अनिवार्य है।
4. तकनीकी निविदा के साथ जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पक्ष में 50000.00 (पचास हजार) रूपये मात्र का राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत बैंक ड्राफ्ट सुरक्षित राशि के रूप में जमा करना होगा।
5. आवंटित कार्य के Sub-Contracting की अनुमति किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। इस आशय का Under taking तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा तथा किसी भी समय Sub-Contracting यदि किया गया तो कार्यादेश वापस लेते हुए एवं जमा की गई जमानत राशि को जब्त करते हुए वेंडर/फर्म के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
6. संस्था को काली सूची में नाम दर्ज नहीं होने से संबंधित शपथ पत्र देना होगा।
7. निविदादाता को बिहार राज्य में बी0पी0एल0/मनरेगा/निर्वाचन जैसे कार्यों के आधार पर वरीयता दी जायेगी।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्तें :–

1. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता वेंडर/फर्म का हीं वित्तीय निविदा संबंधी लिफाफा खोला जाय।
2. वित्तीय निविदा में सभी प्रकार के कार्यों का दर सभी करों सहित स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। वित्तीय निविदा में कम दर वाले निविदादाता को प्राथमिकता दी जायेगी। सफल निविदादाता से इकरारनामा किया जायेगा।
3. सफलतापूर्वक कार्य निष्पादन के उपरांत भुगतेय राशि पर सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार Vat एवं अन्य करों की कटौती की जायेगी।
4. निर्धारित समय सीमा पर कार्य पूर्ण नहीं होने पर प्रतिदिन विलंब के लिए 1000.00 (एक हजार) रूपये की दर से संबंधित वेंडर/फर्म के विपत्र से कटौती की जायेगी तथा एक सप्ताह के उपरांत भी पूर्ण नहीं होने की स्थिति में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए जमा जमानत राशि जब्त कर फर्म को काली सूची में डाल दी जायगी।
5. उपरोक्त शर्तों के अलावे समय–समय पर समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्धारित शर्तों/निदेशों का पालन करना होगा।

(ग) सामान्य शर्तें :–

1. निविदा संबंधित कार्यों का सभी करों सहित दर अलग–अलग उल्लेखित करना होगा।
2. ऑन लाईन डाटा डिजिटाईजेशन एवं उनके सत्यापन हेतु मुद्रित प्रति के मिलान एवं अंतिम रूप से सत्यापन के पश्चात मुद्रित सत्यापित सामग्री जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में हस्तगत करना अनिवार्य होगा। डाटा सत्यापन हेतु कम से कम दो बार प्रिंट देना होगा, यदि आवश्यक हुआ तो दो से अधिक बार प्रिंट आउट देना होगा, उक्त प्रिंट आउट के लिए अलग से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क देय नहीं होगा। कम्प्यूटर अधिष्ठापन के लिए किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा।
3. बगैर कोई कारण बताए निविदा को रद्द करने, संशोधित करने तथा कार्य की अधिकता के कारण समय से कार्य निष्पादन कराने हेतु कार्य का आवंटन एक से अधिक फर्म को करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
4. डाटा इंट्री का कार्य समाहरणालय पूर्णियाँ स्थित जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पूर्णियाँ में संपादित करना होगा जिसमें Wiring, Lan Networking, Broad Band का खर्च वेंडर द्वारा वहन किया जायेगा एवं निम्न सामग्री अधिष्ठापित किया जायेगा।
   (a) 20 Computer Connect with Lan & Broad Band
   (b) Heavy Duty Laser Printer – 02
   (c) Photo Copier
5. डिजिटाईजेशन के प्रथम चरण का कार्य निर्धारित समय–सीमा दिनांक– 16.06.2015 से दिनांक– 25.06.2015 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा तथा द्वितीय चरण का कार्य दिनांक– 26.06.2015 से दिनांक– 30.06.2015 तक पूर्ण होगा।
6. आंकड़ों की प्रविष्टि के उपरांत इसका प्रिंट आउट (जिसमें अतिरिक्त कॉलम आधार संख्या, बैंक खाता संख्या, ईपिक संख्या आदि के लिए भी होगा) की प्रति संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/नगर आयुक्त, नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत को उपलब्ध करायी जायेगी तथा प्रविष्ट आंकड़ों की सत्यता की जाँच तथा छूटे हुए सूचनाओं की प्रविष्टि के पश्चात इसे पुनः डिजिटाईजेशन सेल को प्रिंट आउट निकालने हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। इंट्री ऑपरेटर को स्वच्छ प्रति तैयार कर उपलब्ध कराना होगा।
7. डिजिटाईजेशन के क्रम में डाटा इंट्री ऑपरेटर के कम्प्यूटर खराब होने की स्थिति में वेंडर को अविलम्ब दूसरा कम्प्यूटर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। वेंडर को किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।

Rajesh
01/6/15
जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ